सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 नवम्बर, 2024

सप्तदश विधान सभा | मंगलवार, तिथि 26 नवम्बर, 2024 ई0

त्रयोदश सत्र | 05 अग्रहायण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है...

(व्यवधान)

सुन लीजिये न । पूरी बात सुनिये न । बैठिये । एक मिनट बैठिये न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप सबों को...

(व्यवधान)

संविधान दिवस की बधाई देने वाले हैं । बैठ जाइये न । बैठिये । संविधान दिवस की बधाई दे रहे हैं, बैठिये ।

माननीय सदस्यगण, आप सबों को एवं इस सदन के माध्यम से समस्त बिहारवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं । संविधान दिवस पर आज हम भारत के उन महान संविधान निर्माताओं और उनके अतुलनीय प्रयासों को नमन करते हैं । यह दिन हमें संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की याद दिलाता है । आइये इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर एक सशक्त और समृद्ध राज्य और देश के निर्माण में हम अपना योगदान दें ।

माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

ओथ होगी न । संविधान की बात कर रहे हैं और आज संविधान दिवस है । जो लोग संविधान के अनुसार जीतकर आये हैं उनकी ओथ नहीं होगी ? बैठ जाइये न , क्यों घबरा रहे हैं ?

शपथ/प्रतिज्ञान ग्रहण

माननीय सदस्य, शपथ/प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है । जब आप पुकारे जायं तब आपको उसे पढ़ना है । सामने मेज पर एक रजिस्टर है उसमें आपको हस्ताक्षर करना है । अब सभा सचिव नाम पुकारेंगी । सभा सचिव ।

सभा सचिव : निर्वाचन क्षेत्र संख्या-196, तरारी । श्री विशाल प्रशांत ।

निर्वाचन क्षेत्र सं0 एवं नाम	माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
196-तरारी	श्री विशाल प्रशांत	शपथ

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है...

अध्यक्ष : कार्यस्थगन प्रस्ताव उठाने का जो समय है उसमें उठाइयेगा । अभी प्रश्नोत्तर काल है। प्रश्नोत्तर के बाद शून्यकाल में उठाइयेगा...

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल के बाद उठाइयेगा । पहले प्रश्नोत्तर काल होने दीजिये । आप ही लोगों के ही प्रश्न है । 10 अल्पसूचित प्रश्नों में 6 आपके ही हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कार्यस्थगन क्या है, सुन तो लीजिये ।

अध्यक्ष : यह शून्यकाल में सुना जायेगा न । पूछिये अवध बिहारी बाबू से क्या नियम है ? आपके बगल में बैठे हैं । बताइये अवध बिहारी बाबू, क्या नियम है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमने नियम के तहत ही कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है...

अध्यक्ष : पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं । क्या नियम है उनसे पूछ लीजिये । यह शून्यकाल में उठाइयेगा । शून्यकाल में सुनेंगे ।

(व्यवधान)

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे...

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल के बाद विषय उठाइयेगा । शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे । बैठिये ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

श्री मुकेश कुमार यादव । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले आपको और सदन के सभी सदस्यों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं । हम लोगों की मांग थी कि जो कार्यस्थगन प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाय लेकिन आपने जैसा कहा कि मौके पर उठाया जाय तो हम चाहेंगे मौके पर जरूर उठायेंगे तो उसमें थोड़ा समय हम लोगों को अपनी बात रखने का जरूर मौका दीजियेगा । तब तक हम लोग प्रश्नकाल चलने देंगे ।

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार यादव, पूरक पूछिये ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या-1, श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : (क) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-9/विविध-20/2024-77 गो0, दिनांक-11.06.2024, पत्रांक-9/विविध-20/2024-679, दिनांक-27.08.2024 के द्वारा ई-शिक्षा कोष एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है जिसके आलोक में ई-शिक्षा कोष एप पर प्रतिदिन लगभग 95 प्रतिशत द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति बनाई जा रही है ।

(ख) वस्तुस्थिति है कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय को उर्दू एवं गैर उर्दू विद्यालय टैग करने की व्यवस्था है । स्कूल और जिला के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर 5194 विद्यालयों को उर्दू विद्यालय के रूप में ई-शिक्षा कोष पोर्टल टैग किया गया है । अगर विद्यालय उर्दू टैग है तो उसमें शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा । यदि विद्यालय गैर उर्दू विद्यालय टैग है तो उसमें रविवार साप्ताहिक अवकाश प्रदर्शित होगा । यदि किसी विद्यालय को उसकी टैगिंग गलत प्रदर्शित होती है तो संबंधित विद्यालय अथवा संबंधित जिला उस टैगिंग को सही सूचना के आधार पर सुधार करवा सकते हैं ।

(ग) ई-शिक्षा कोष एप सही से कार्य कर रहा है फिर भी पत्रांक-679, दिनांक-27.08.2024 की कंडिका-5 में निम्न प्रावधान किया गया है : सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक/शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जायेगा ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है लेकिन इनके द्वारा कहा गया है कि ई-शिक्षा पोर्टल पर शुक्रवार को जो छुट्टी होती है, उर्दू विद्यालय में वह

की जा रही है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय एवं मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गयी एप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनकी उपस्थिति काट दी जाती है । एप में व्यापक विसंगतियां हैं । सरकार कब तक उनको दूर करेगी । उदाहरणस्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय, हरपूर्वा उर्दू, मध्य विद्यालय, बसौन उर्दू, प्राथमिक विद्यालय, मधारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय, ठेकहा उर्दू टोल सहित कई अनेक विद्यालयों में शुक्रवार को उनकी हाजिरी काट दी जाती है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95 प्रतिशत सही उपस्थिति दर्ज हो रही है जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से या कोई पोर्टल में कमी रह गयी या सर्वर में कमी रह गयी तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की है । माननीय सदस्य, जिस विसंगति की बात कर रहे हैं वह हम लोगों के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे । यह पहली बार किया गया है लेकिन हम लोग 95 प्रतिशत तक इसमें सही काम कर पा रहे हैं और उसके कारण किसी का वेतन इत्यादि नहीं रूक रहा है तो यह भी हमने सुनिश्चित किया है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया । आपका जवाब तो बड़ा साफ है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं और जब तक सुधार नहीं करते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए कि शुक्रवार को जो शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित होते हैं उनकी उपस्थिति माननी चाहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5 प्रतिशत कमी रह गयी है उसमें यही है कि फिजिकल रजिस्टर भी हम लोगों ने रखा है । ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है । बैठिये । श्री अरूण शंकर प्रसाद । पूरक पूछिये ।

<u>अल्प सूचित प्रश्न संख्या-2, श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33, खजौली)</u>

श्री मदन सहनी, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

2-स्वीकारात्मक । हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) के जारी आँकड़े के अनुसार पूर्वी चम्पारण में बेटियों की संख्या वर्ष 2022-23 में 908 से

घटकर वर्ष 2023-24 में 870 एवं गया जिले में वर्ष 2022-23 में 917 से घटकर वर्ष 2023-24 में 870 हो गयी है। उक्त अवधि में राज्य के 29 जिलों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है, जबकि 08 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि एवं शेष 01 जिले (कैमूर) में स्थिरता दर्ज की गयी है ।

3(1). राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018 से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और बालिका भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(2) बिहार में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने की पहल की जा रही है।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 3,16,408, 3,52,543 एवं 3,61,060 तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 6,36,688, 1,45,832 एवं 2,58,281 लाभुकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

(4) जन्म लिंगानुपात में आयी गिरावट के मद्देनजर दिनांक-13.09.2024 को मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से एक विशेष बैठक कर स्वास्थ्य विभाग को PC PNDT Act सख्ती से लागू करने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग-सह-अधयक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम के पत्रांक-3705, दिनांक-30.09.2024 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को PC PNDT Act को सख्ती से लागू करने एवं पत्रांक-3718, दिनांक-01.10.2024 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को जीविका समूहों के माध्यम से जन्म लिंगानुपात में सुधार हेतु प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के विरूद्ध जागरूकता संदेशों के प्रचार-प्रसार करवाने हेतु निदेशित किया गया है ।

(5) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अनुसार PC PNDT Act के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल-112 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर वाद दर्ज किया गया है जिनमें से पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों की संख्या क्रमशः 52 एवं 60 है।

(6) राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से बेटियों के प्रति समाज में अनुकूल वातावरण का निर्माण कर उनके जन्म, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(7) इसी क्रम में बेटियों की महत्ता एवं उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2024 को गाँधी जयंती के अवसर पर राज्य की ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित ग्राम सभाओं में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, यह प्रश्न लिंगानुपात से संबंधित है और...

अध्यक्ष : आप लोग आपस में बात नहीं करिये । सुनिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में बच्चियों की संख्या में गिरावट आ रही है और तीन जिले ऐसे हैं महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी का गृह जिला, सीवान, मधुबनी और किशनगंज जहां...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : वही पूछ रहा हूं महोदय ।

अध्यक्ष : आप लंबा पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : वहां लिंगानुपात बढ़ रहा है, कैमूर में स्थिर है और राज्य के बाकी जिलों में इसमें गिरावट आने का क्या कारण है ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है । जवाब तो हमने दे दिया है और पूरक हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है । हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें 38 जिलों में से 8 जिलों में हम लोगों की वृद्धि हुई है और शेष एक में स्थिर है तो कुल 9 जिले हैं और 29 जिलों में गिरावट दर्ज हुई है । उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्ष 2018 से शुरू की है । बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने बहुत राशि भी खर्च की है । कन्या उत्थान योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर के ग्रेजुएट तक 94,100/- रुपये की राशि खर्च की जाती है और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटी को जन्म के समय प्रोत्साहन दें और यह बात भी सत्य है कि यह कुछ सालों का काम नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न-2/मुकुल/26.11.2024

श्री मदन सहनी, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, यह सदियों से होता आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम किये हैं और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम का ही असर है कि बहुत सारे जिलों में हमें सुधार भी देखने को मिल रहा है । हमलोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रसव पूर्व जो जांच होती है उसके लिए भी हमलोगों ने टीम का गठन प्रत्येक जिला में किया है और उस कारण से भी

बहुत सारी जगहों पर छापामारी होती है और उसपर कार्रवाई की जाती है, बावजूद जो गिरावट आई है उसके लिए विभाग, हमलोग पूरी जिम्मेवारी से इसमें और, सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि समाज में और परिवार में जब तक बेटी को महत्व नहीं दिया जायेगा और सामाजिक स्तर पर जब तक इसका जोर-शोर से प्रचार-प्रसार नहीं होगा तो जो हमलोग इसका रिजल्ट खोज रहे हैं उसमें हमलोगों को बहुत सहायता नहीं मिलेगी तो यह जिम्मेवारी सरकार के साथ-साथ समाज की भी है । हमलोग इसमें लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं पंचायत स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी और हमलोग आगे भी इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। जिन-जिन जिलों में यह जो गिरावट जो आई है उसके लिए हमलोग विशेष रूप से कार्यक्रम तय करेंगे कि किस तरह से इसको रोका जाय, यही हमलोगों का मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यक्रम को हमलोग लगातार करते रहेंगे, जो जिला हमलोगों का स्थिर है और जो जिला हमलोगों का बढ़ा है उसमें मधुबनी में वर्ष 2022-23 में 815 था और 2023-24 में 819 हो गया है इसमें हमलोगों का थोड़ा सा बढ़ा है और जो रोहतास जिला है उसमें 863 से 870 है इसमें भी बढ़ा है, औरंगाबाद में 876 से 877 हुआ है, सीवान में 857 से 881 हो गया है इसमें भी बढ़ा है । शेखपुरा में भी हमलोगों का 880 से 892 है । लेकिन जो शेष जिला हमलोगों का कमा है उसके लिए हमलोग लगातार प्रयास करेंगे । माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है और यह सवाल हमलोग समझते हैं कि समाज के हित में और परिवार के हित में है, जब तब बेटी नहीं होगी तब तक परिवार बढ़ नहीं सकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार बेटियों के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के अंदर जितनी महिलाओं के लिए काम किया गया है यह तो एक आदर्श है और हमलोग समझते हैं कि समाज के सभी लोगों का, तबकों का इसमें सहयोग की जरूरत है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब पूरक के लिए क्या बचा है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बहुत बचा हुआ है । माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, प्रशासन और शासन, सरकार तो इसमें अपना काम कर रही है इन्होंने यह दिखाया है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, उसमें काफी कमी है, ये इनके उत्तर से प्रदर्शित होता है । उसमें मुख्य रूप से मैं इशारा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदन योजना में वर्ष 2023-24....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण जी । इशारा मत कीजिए, इशारा करना खराब बात है । आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो आपने उत्तर दिया है उसमें वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 का जो डाटा इन्होंने दिया है तो जहां वर्ष 2022-23 में 6 लाख 36 हजार 688 है तो वर्ष 2023-24 में लाभुकों की संख्या गिरकर कैसे 1 लाख 45 हजार 832 पर आ जाती है, यह बहुत ही दुखद स्थिति है । तो इसमें जरूर कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता प्रतीत होती है । इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार विभाग स्तर से हमेशा इसकी समीक्षा की जाती है और इसमें हमलोग सभी को जितने भी बच्चों का जन्म होता है सभी को हमलोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रथम बच्चे होते हैं उसके लिए 5 हजार रुपये की राशि दी जाती है और बेटी के जन्म पर, दूसरी बेटी अगर जन्म होती है उसके लिए 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है और लगातार इस कार्यक्रम को हमलोग करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं हुई है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये । आपकी बात हो गयी ।
श्रीमती मंजू अग्रवाल।

(व्यवधान)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226, शेरघाटी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा संभाग अंतर्गत विगत 11 से 16 वर्षों से कुल 826 संविदा आधारित विशेष शिक्षक कार्यरत हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या (सिविल)-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक-12.03.2024 को पारित आदेश द्वारा सभी राज्य सरकारों को निम्न आशय का पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया है कि:- (1) कितने विशेष शिक्षक आर0सी0आई0 ट्रेंड तथा नियुक्ति हेतु अहर्ता रखते हैं जो वर्तमान में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं एवं उक्त कर्मियों द्वारा प्राप्त किये गये वेतनमान/नियत वेतन आदि तथ्यों की भी जानकारी मांगी गयी है । (2) इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी है कि उक्त कर्मी कितने अवधि से संविदा पर कार्यरत हैं (3) एवं क्या उक्त के नियमितिकरण हेतु पूर्व में कोई कार्रवाई की गयी थी

(4) स्वीकृत पदों की संख्या और यदि स्वीकृत पदों की संख्या कम है तो वैसी स्थिति में नियुक्ति हेतु पदों के सृजन हेतु विभाग के स्तर से की जा रही कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी की मांग की गयी है । विभाग द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी है । सम्प्रति मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन हेतु लंबित है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आगामी आदेशों के अनुरूप विभाग स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है कि पहले सामंजन करना है, उसके पश्चात् रिक्त पद भरना है, माननीय मंत्री जी के उत्तर में यह उल्लेख नहीं है । महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो एस0एस0ए0 और आर0एम0एस0ए0 में कार्यरत विशेष शिक्षकों का सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेस अप्वाइंटमेंट करना है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने विशेष शिक्षकों का 5,534 पद सैंक्शन करवाया है और खास करके हमलोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना बी0पी0एस0सी0 को भेज दी है और शेष हमलोग भेजेंगे और अब तक के लिए हमलोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों के पदों पर कक्षा 9 से 12 के लिए नियुक्त भी किया हुआ है तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हमलोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है, धन्यवाद ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार....

अध्यक्ष : मंजु जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम पूरक प्रश्न ही पूछ रहे हैं । इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकों के लिए दिनांक-30.09.2024 को कैबिनेट में पास किया तो क्या सरकार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षकों का सामंजन करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जो निर्णय लिया है कि एग्जाम के माध्यम से ही हमलोग करेंगे और जो लोग पूर्व से कार्यरत हैं उनके लिए हमलोग विशेष रूप से अलग से कुछ प्रावधान करेंगे, धन्यवाद ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द और कहना चाहती हूं कि पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट-1995 तथा आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट-2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है । इसलिए महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्षः डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-4 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र संख्या-122, सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : यह सही है कि वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 156 लोगों की मौत की पुष्टि की गयी है । इन 156 मृतकों के आश्रितों/परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख की दर से सहायता अनुदान के रूप में 6,24,00,000/- (छः करोड़ चौबीस लाख रुपया) मात्र का भुगतान किया गया है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जहरीली शराब से मृत्यु का कारण मद्य निषेध नीति/शराबबंदी नहीं है । शराबबंदी कानून लागू होने के पूर्व वर्ष 1998 से 2015 तक राज्य में जहरीली शराब से कुल 108 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । ये घटनाएँ कटिहार, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलों में घटित हुई हैं ।

वैसे राज्य जहाँ शराबबंदी नही है, वहाँ भी जहरीली शराब से मृत्यु की घटनाएँ घटित हुई हैं, जो निम्न तालिका से स्पष्ट होगा :-

क्रम सं0/राज्य	वर्ष	मृतक की सं0
01. कर्नाटक	2008	345
02. प0 बंगाल	2011	172
03. उड़ीसा	2012	32
04. उत्तर प्रदेश	2013	46

05. महाराष्ट्र	2015	102
06. पं0 बंगाल	2015	14
07. उत्तर प्रदेश	2019	99
08. असम	2019	157
09. पंजाब	2020	112

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निहित राज्य सरकार के दायित्व के अनुपालन में राज्य के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक हितों के अलावा उनकी स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा 05 अप्रैल, 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है । सरकार की इस नीति के प्रभाव का अध्ययन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों यथा (1) चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान (2) चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पंचायती राज चेयर), पटना एवं जीविका का संयुक्त रूप से (3) एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा किया गया है, के अनुसार घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आयी है । परिवार एवं समाज में अमन-चैन तथा खुशहाली का माहौल कायम हुआ है । शराब पीने वाले व्यक्ति शराब से विमुक्त होकर अपने परिवार के विकास के लिए कार्य कर रहें हैं । शराब पर व्यय हो रहे धान की बचत से खाने-पीने की, सुख-सुविधा की चीजों, बच्चों की शिक्षा और परिवार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं । महिलाओं की परिवार के साथ-साथ समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है ।

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति सफलतापूर्वक लागू है । जिसके क्रियान्वयन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा ड्रोन, हैन्ड हेल्ड स्कैनर्स, ब्रेथ एनालाईजर, मोटरबोट आदि का प्रयोग किया जा रहा है ।

पंचायत स्तर पर शराब एवं ताड़ी के परम्परागत व्यवसाय से जुड़े निर्धन परिवारों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत दो लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा रही है । इसके अतिरिक्त ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए नीरा उत्पादन की अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है और इसकी बिक्री एवं रख-रखाव की कार्य योजना तैयार कर जीविका के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति जनहित में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब है, यह भानुमति के पिटारा की तरह है जिसे सरकार ने पूरा लिखकर दे दी है । मैंने जिस उद्‌देश्य के लिए इस प्रश्न को लाया था उसका जवाब सरकार नहीं दी है कि सरकार जो है ये अपने सिस्टम को फुलप्रूफ करने के लिए, इनके सिस्टम में जो खोंट है, शराबबंदी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने जो सवाल किया पूरे राज्य में प्रतिवर्ष हजारों-हजार लोग मर रहे हैं शराबबंदी से, शराबबंदी जिस उद्‌देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार के सिस्टम में जो दोष है, जवाब में भी माननीय मंत्री जी ने दिया है कि ड्रोन से और अपनाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम की चर्चा इसमें है, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई है, राज्य के सारे लोग जान रहे हैं और अफसोस यह है कि इससे गरीब, पिछड़े, दलित और अति पिछड़े ही मरते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से क्या पूछना चाहते हैं ,

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी 4-4 लाख रुपये की राशि जो आपदा वाला दे करके, सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दे रही है ।

क्रमशः

टर्न-3/यानपति/26.11.2024

डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्रमशः) : क्या इसमें शराब कांड सरकार के फेल्योर से हो रहा है, माफियाओं की मिलीभगत से जो आपके सिस्टम में फॉल्ट है तो उसमें सरकार क्या 25-25 लाख रुपये मृतक के परिवार को और उनके पुनर्वास का उनके रोजी-रोजगार का सरकार प्रबंध करना चाहती है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों-हजार मौत हो रही है और 2016 से लेकर अबतक जो मौतें हुई हैं और उसके बारे में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जो कहा है, 2016 से लेकर 156 मौतें हुई हैं और अपने पूरक में कह रहे हैं कि हजारों-हजार मौत हुई है, जब 156 लोगों की मौत के बारे में यह प्रश्न ही पूछ रहे हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले जवाब सुन लीजिए, सरकार का जवाब तो आने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं बताना चाहता हूं कि जो शराब बेचकर, ताड़ी बेचकर जिंदगी बसर करते थे, जो गरीब लोग थे उनको हमने ग्रामीण विकास के तहत जीविका के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में चलाया गया और 1 लाख 2 हजार लोगों को हमने चिन्हित किया है, ऐसे लोग जो शराब बेचकर, ताड़ी बेचकर और जो परिवार हाशिए पर खड़े हैं उनको 2-2 लाख रुपया देकर उनको रोजगार से जोड़ने का हमने काम किया है और जहांतक शराब की बिक्री का सवाल है तो आदतन जो लाचार हैं, आदत से मजबूर हैं जो कानून को समझते हुए भी कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं उनको भी चिन्हित करके उनको पकड़ने का काम किया गया, उनको जेल की सलाखों में बंद किया गया, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ सरकार ने किया है, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि शराब जैसी बुराइयों को बंद कर दिया जाय और उसको खत्म किया जाय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उसको खत्म किया था और इन सब लोगों ने जो सदन में बैठे हुए लोग हैं सब लोगों ने शपथ लिया था कि न शराब पियेंगे और शराब अगर कोई बेच रहा है और शराब का कोई धंधा कर रहा है उसके बारे में सरकार को समय-समय पर बतायेंगे लेकिन एक भी लोग के बारे में इन्होंने सरकार को जानकारी नहीं दी बल्कि जो घटनाएं हुई हैं उस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए था और सरकार की तरफ से उनके परिवारों को खड़ा रहने के लिए भी महोदय 4-4 लाख रुपया का अनुदान दिया गया और जो ऐसे परिवार हैं उनको चिन्हित करके हम रोजगार में शामिल कर रहे हैं और 2-2 लाख रुपया उनको अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए दे रहे हैं यह आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आप अंतिम पूरक पूछिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : इन्होंने जो बोला 156 मौतें हुई हैं वह पूरे बिहार का है या केवल तीन जिला का, आप जो बोल रहे हैं वह केवल तीन जिले का आंकड़ा दे रहे हैं पहली बात, करेक्शन आप कर लीजिए । दूसरा महोदय हम यह बताना चाहते हैं कि ये बोलते हैं कि कार्रवाई करते हैं, ज्यादातर तो गरीब परेशान है, गरीब पर कार्रवाई होती है लेकिन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ट्रक भर-भर कर यह आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है? हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक व्यक्ति या एक बड़े लोग का नाम बता दीजिए जो बिहार से बाहर या जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही हैं, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है,

उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़ी मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं । तीसरी बात महोदय कि पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में थाना से मिलकर लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो उनलोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कितना लोग पकड़ा रहा है और कितने लोगों को बचाया जा रहा है यह सब लोग जान रहे हैं, इसमें किसकी मिलीभगत है । माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार समीक्षा बैठक करते हैं अच्छी बात है लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जो आंकड़े हैं उसको शुद्ध कर लें, उसको शुद्ध कर लेंगे महोदय लेकिन 1998 से लेकर 2015 तक.....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पहले बोलते हैं कि 156 मौतें हुईं, फिर बोलते हैं कि सुधार लेंगे, ऐसा जवाब सदन में मिलेगा, कब सुधारेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आपके संज्ञान में जो बातें हैं उसकी समीक्षा भी कर लेंगे और अगर गलती होगा तो उसको सुधार भी लेंगे । वर्ष 1998 से लेकर महोदय 2015 तक कुल जहरीली शराब से जो मौत बिहार में हुई है 108 हुई है महोदय और अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार का जवाब सुनिए । माननीय सदस्य, क्या बोलते हैं बैठे-बैठे, क्या तरीका है यह ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि 2016 से लेकर 156 मौतें हुई हैं और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य का कारोबारी हो, चाहे विदेश का कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं । एक-एक करके चिन्हित करके उनपर कार्रवाई भी हो रही है और भी जो बचे हुए लोग हैं, सब पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : माननीय मंत्री जी का एक भी उत्तर संतोषजनक नहीं है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है आपके जवाब से, आप बोलते हैं कि विदेश से लाइएगा, जो बगल में पड़ोसी राज्यों से आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, आपके यू0पी0 में क्या कार्रवाई की जा रही है, बताइये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री कुमार शैलेन्द्र ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-1 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र संख्या-152, बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि उच्च माध्यममिक विद्यालय कहारपुर पंचायत हरिओ की स्थापना वर्ष-2020 में हुई है । हरिओ पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहीन था । वर्ष-2020 में उक्त विद्यालय कोसी नदी में विलीन हो गया है ।

उच्च माध्यममिक विद्यालय कहारपुर हरिओ पंचायत हरिओ में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-282, दिनांक-15.08.2023 के आलोक में अंचलाधिकारी, बिहपुर से अनुरोध किया गया । अंचलाधिकारी, बिहपुर द्वारा मौजा कहारपुर में निजी भूमि उपलब्ध करायी गई है, जिसमें भूमि मालिक द्वारा 50 डिसमिल भूमि दान देने हेतु सहमत होने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है ।

कार्यालय पत्रांक-2805, दिनांक-11.11.2024 द्वारा अंचलाधिकारी, बिहपुर को दानदाता से सहमति पत्र एवं अन्य वांछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि नि:शुल्क निबंधन की कार्रवाई की जा सके ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरे विधान सभा अंतर्गत बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर गांव में रायपुर कुसहा का है, महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भ्रामक है । प्रश्न पूछा गया है रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कुसहा के परिसर में चार महीना पानी भरा रहता है, उत्तर है कि विद्यालय परिसर के निकट गड्ढा में गांव का पानी गिरने के कारण जल-जमाव की स्थिति रहती है, मैंने पूछा है कि जो विद्यालय है उस विद्यालय में पानी जमा हुआ रहता है जिसके कारण बच्चे चार महीने पढ़ नहीं पाते हैं और वहां के अधिकारी ने माननीय मंत्री जी को भ्रमित किया है सबसे पहले तो इसकी जांच हो जाय । दूसरा प्रश्न है कि वहां 8 कमरे हैं जिसमें 3 कमरे बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हैं कभी-भी हादसा हो सकता है और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक वहां पर जो पढ़ाई की स्थिति है बहुत ही बदतर हो गई है चूंकि कमरा कभी-भी गिर सकता है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाला पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक ठीक करा देंगे ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉर्पोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालय हैं उसकी समीक्षा की है । यहां पर सदन को

सूचित करना चाहेंगे कि हमने सभी माननीय सदस्यों से यहां के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी, पांच प्राथमिक और पांच सेकेंडरी तो हमें उसमें से माननीय सदस्यों के 1604 प्राप्त हुए हैं जिसमें 380 से 400 के करीब पूरा हो गया है और इसमें यह भी सूचीबद्ध है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आनेवाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे ।

अध्यक्ष : एक और आग्रह है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जो जवाब आया है वह त्रुटिपूर्ण जवाब है इसलिए एक बार उसकी समीक्षा करा लीजिए और माननीय सदस्य को बता दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, ठीक है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पानी वाला गलत उत्तर दिया है.....

अध्यक्ष : वही तो हमने कहा, आप सुनते नहीं हैं हमलोगों की बात, मैंने क्या कहा, वही कहा है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं, गड्ढे वाले पानी का कहां बोले, बोले कि हम बना रहे हैं और भी विद्यालय, हमसे भी अनुशंसा लिया गया ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सुनिये, मैंने क्या कहा सुने आप, नहीं सुने । मैंने कहा कि उनको कई चीजों पर भ्रम है जो प्रश्न है, उसमें गलत सूचना है, उसकी समीक्षा कर लीजिए, वही तो मैंने कहा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र संख्या-106, जीरादेई)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला अंतर्गत जीरादेई प्रखंड में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पुखरेड़ा में पूर्व से निर्मित चहारदीवारी क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में है, जो सड़क के किनारे अवस्थित है । उक्त विद्यालय में कुल 900 फीट चहारदीवारी की आवश्यकता है । जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण को योजना में शामिल कर लिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, उत्तर प्राप्त है और उत्तर में बताया गया है कि चहारदीवारी निर्माण को योजना में शामिल कर लिया गया है लेकिन मैं पूरक पूछता हूं कि इसकी कोई समय-सीमा मंत्री जी बतायेंगे क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है और माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि समय बताएं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य समय-सीमा पूछ रहे हैं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हम समझते हैं कि अगले फाइनेंशियल इयर मार्च तक हमलोग उसे कर लेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद ।

टर्न-4/अंजली/26.11.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुंदन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-3 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0-146, बेगूसराय)

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बेगूसराय विधान सभा के मोहनपुर प्लस टू स्कूल से संबंधित है और जवाब सुबह 10.30 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है तो माननीय मंत्री जी कृपया कर के जवाब पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा बेगूसराय के पत्रांक-424, दिनांक-23.11.2024 द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाकर स्टेडियम बनवाने की घोषणा की थी तो मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र इसको करवा दें, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : इसलिए न प्रतिवेदन मांगे हैं ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, काफी दिन हो गया है ।

अध्यक्ष : प्रतिवेदन आने के बाद ही न होगा ।

माननीय सदस्या, श्रीमती अरूणा देवी ।

तारांकित प्रश्न सं0-4 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बुधौली मठ 'बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976' के सुसंगत प्रावधानों के तहत राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल/स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं है । बुधौली मठ के जीर्णोद्धार से संबंधित कोई भी योजना विभाग के पटल पर विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन संतुष्टि लायक नहीं है । बुधौली मठ बहुत पुराना है और अभी जर्जर स्थिति में हो गया है तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक जीर्णोद्धार करने का विचार रखते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नवादा जिला के पकरीवरावां प्रखंड अवस्थित बुधौली मठ स्थानीय स्तर पर एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है । महोदय, मठ के स्थापत्य संरचना में किसी भी प्रकार के अतिविशिष्ट रूप का सौंदर्यी, बोध दृष्टिगोचर नहीं होता है । महोदय, मठ का संचालन महंत श्री रामधन पुरी एवं यशंवत पुरी द्वारा किया जाता है । इसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है । स्पष्ट है कि बुधौली मठ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है । अतएव इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : संभव नहीं है ।

माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत ।

तारांकित प्रश्न सं0-5 (श्री कुमार सर्वजीत, क्षेत्र सं0-229, बोधगया(अ0जा0))

श्री जनक राम, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मेयारी के ग्राम आमीन टोला, जेहली बिगहा के राजवंशी टोला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या-75 एवं जनसंख्या-360 है तथा ग्राम पंचायत नगमा के ग्राम नगमा रवीदास टोला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या-40 एवं जनसंख्या-220 है ।

दोनों पंचायतों की निर्धारित मानक से कम है ।

3. उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सर्वजीत जी, पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दलितों की बस्ती में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का सवाल था । विभाग को हमने पत्र लिखा था । विभाग ने जिले से पूरे एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लिया है । जिला से एन0ओ0सी0 आ गया है उसके बाद उत्तर में यह कहा गया है कि दलितों की जो आबादी है वह एक गांव में 220 और 360 है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मानक क्या है ? दूसरा हम यह

जानना चाहते हैं कि जो दलित के टोले होते हैं एक गांव में किसी एक कोने पर 10 घर बसा होता है, दूसरे कोने पर 10 घर बसा होता है और इनका अगर मानक है कि 360 की आबादी में सामुदायिक भवन या वर्क शेड नहीं बनेगा तो फिर आखिर कौन सी ऐसी दलित बस्ती है जिसकी आबादी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले संविधान दिवस के अवसर पर हम संविधान को नमन करते हुए, संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी को भी नमन करता हूं और संविधान के दिवस के अवसर पर हम सब को शुभकामनाएं देते हुए माननीय का सवाल है, आपने एक गया विधान सभा के लिए प्रश्न किया है लेकिन जिक्र आपने जिला का किया है । मानक का सवाल है, आपका जवाब दिया गया है । जो दलित की आबादी है कम से कम 500 या तो जनसंख्या हो, नहीं तो वहां कम से कम 100 घर-परिवार बसता हो, मानक के ही विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है । जहां तक सवाल है गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मेयारी में आमीन टोला, जेहली बिगहा, राजवंशी टोला में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या-75 और संख्या-360 ही है । ग्राम पंचायत नगमा के ग्राम नगमा रवीदास टोला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या मात्र 40 है एवं जनसंख्या-220 है । दोनों पंचायतों की निर्धारित मानक से कम है । मुझे लगता है कि माननीय इससे संतुष्ट हो गये होंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैंने कहा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 40 घर है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नगमा गांव में कम से कम दलितों की 500 आबादी है, 500 घर है लेकिन सिर्फ टोले हैं । एक टोला में रविदास है, एक टोला में राजवंशी है, एक टोला में मुसहर है और एक टोला में पासवान है । इनके विभाग ने जो जवाब दिया है कि सिर्फ 40 घर है, हम कह रहे हैं कि 500 घर है तो उस 500 घर में आप बीच में कोई यात्री शेड, सामुदायिक भवन बनाइएगा तभी तो उसकी बेटी की बारात रूकेगी । आपने मानक रखा है कि 100 घर की आबादी होनी चाहिए । आप बता दीजिए कि बिहार में कौन ऐसा दलित का गांव है जहां पर 100 घर एक साथ रहता है । कौन दलित के पास 10 बिगहा, 50 बिगहा जमीन है, जरा बता दीजिए । आपकी सरकार है तो आपके लिए बहुत है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पूरक ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर 500 की आबादी अगर सरकार ने रखी है, हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे

कि आप भी दलित परिवार से आते हैं, आप इसकी समीक्षा कराइए और समीक्षा कराकर के जहां पर 40 घर, अगर कोई दलित है, अगर 20 घर की कोई बस्ती है तो वहां पर कम से कम सामुदायिक भवन यात्री शेड बनवाइए ताकि गरीब की बेटी की बारात उस भवन में रह सके यही हमारा आग्रह है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, यह फतेहपुर प्रखंड का मामला है । हम जानना चाहते हैं कि फतेहपुर प्रखंड में जो इनका मानक है, मानक के अनुरूप कितने ऐसे बस्ती हैं, उसमें कहां पर काम हुआ है ?

अध्यक्ष : यह उससे जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, यह फतेहपुर प्रखंड का सवाल है ।

अध्यक्ष : अलग से आपको जवाब दिया जायेगा, आप लिखकर के भेज दीजिए, पूरे जिले का प्रश्न में कहां है ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : हम यह जानना चाहेंगे कि राज्य में कितने ऐसे गांव है जो मानक के अनुरूप है, वर्कशेड वहां पर बना है, कहीं नहीं बना है इसलिए हम जानना चाह रहे हैं, गया जिला का सवाल है, फतेहपुर प्रखंड का सवाल है । कम से कम मंत्री जी इसका तो लेकर आये होंगे कि फतेहपुर में 10 गांव है, इसमें मैंने 5 में, 4 में निर्माण कराया है ।

अध्यक्ष : अलग से प्रश्न कीजिएगा, उत्तर मिलेगा आपको ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : 10 वर्षों में मेरे विधान सभा में एक भी वर्कशेड नहीं बना है ।

अध्यक्ष : आप अपने विधान सभा में कहां से चले गये । आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह गंभीर सवाल है ।

अध्यक्ष : सारे सवाल गंभीर होते हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, 100 परिवार का जो निर्धारण हुआ है वह सही नहीं है । कहीं भी किसी एक जाति का 100 परिवार विरले कहीं नहीं मिलेगा । अगर जनरल बनाना है तो 100 मानक को घटाना होगा...

अध्यक्ष : यह नीतिगत निर्णय सरकार का है ।

श्री सत्यदेव राम : और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, यह दलितों का सवाल है ।

(व्यवधान)

एक तो दलित टोलियों में जमीन नहीं मिलती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए । बहुत हो गया । आपका विषय आ गया ।

तारांकित प्रश्न सं0-6 (श्री युसुफ सलाहउद्दीन, क्षेत्र सं0-76, सिमरी बख्तियारपुर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत कुल-1340 विद्यालयों में पेयजल मुहैया कराने हेतु बोरिंग कार्य के लिए कार्यादेश निर्गत किए गए हैं ।

PHED, सहरसा द्वारा Randomly तीन विद्यालय 1. गजाधार साहु उच्च विद्यालय, सौर बाजार 2. मध्य विद्यालय, नादों, सौरबाजार एवं 3. मध्य विद्यालय, बड़सम, सौरबाजार की जाँच की गई है ।

सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर अनुमण्डल अन्तर्गत विद्यालयों में अधिष्ठापित बोरिंग की जाँच की जा रही है ।

जिला कार्यालय के पत्रांक-1498, दिनांक-21.11.2024 द्वारा उक्त विद्यालयों में कराई गई/कराई जा रही बोरिंग की जाँच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) से कराने हेतु जिला पदाधिकारी सहरसा से अनुरोध किया गया है । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : महोदय, जवाब आया है लेकिन माननीय मंत्री जी से हम पूरक पूछना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न । पूरे बिहार के बारे में अलग से पूछिये और मानक के बारे में अलग से पूछ दीजिए । बैठ जाइए ।

श्री सलाहउद्दीन साहब जी, पूरक पूछिये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : महोदय, जी हम पूरक पूछना चाहेंगे । हमारे यहां जितने विद्यालय हैं वहां 300 फीट गहराई बोरिंग को जाना था लेकिन हमने स्वयं सब हेडमास्टर के साथ समीक्षा भी किया है, लगभग 70-80 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जहां बोरिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और जहां 300 फीट नीचे गहराई जाना है, कहीं तीन सौ फीट नहीं गया है । इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी संवेदक हों उन पर कार्रवाई हो ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, इसके लिए हमने जिला पदाधिकारी को कहा है कि 31.12.2024 तक के सारे जहां-जहां सबमर्सिबल पंप गाड़े गये हैं और उसमें कमियां हैं तो उसका निश्चित रूप से हमलोगों

को प्रतिवेदन दें ताकि अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई कर सके । माननीय सदस्य को हम यह भी सूचित करना चाहेंगे कि दो डी0ई0ओ0 किशनगंज और गोपालगंज के, उन लोगों के कार्य में जो कमियां पाई गई थीं उसके लिए उनको हमने निलंबित भी किया है और जहां-जहां इस तरह के सबमर्सिबल बोरिंग की सूचना मिल रही है कि ठीक नहीं हुआ है वहां इनक्वायरी भी करवा रहे हैं ।

टर्न-5/आजाद/26.11.2024

तारांकित प्रश्न सं0-7(श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र सं0-155,कहलगांव)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय आजमपुर एवं प्राथमिक विद्यालय, सन्हौला अनुसूचित में भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, परंतु आमंत्रित निविदा तकनीकी कारणों से असफल रहा है । उक्त दोनों विद्यालयों के लिए पुनर्निविदा प्रकाशित करते हुए भवन निर्माण करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कब तक निविदा की प्रक्रिया पूरा कराकर भवन का निर्माण सरकार करायेगी, जिससे अनुसूचित छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में सुविधा हो सके ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने अलग से इस आशय का जो निर्देश दिया है कि 31.12.2024 तक हमलोग निविदा आदि की कार्रवाई करेंगे और 31.03.2025 तक निर्माण कार्य भी पूरा करने का आदेश दिया है । उम्मीद है कि हमलोग 31.03.2025 तक निश्चित रूप से हमलोग पूरा कर लेंगे ।

श्री पवन कुमार यादव : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-8(श्री अरूण सिंह,क्षेत्र सं0-213,काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय विशनपुर के लिए 2 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन(एल0ए0ई0ओ0) को

जिला कार्यालय के पत्रांक-3058, दिनांक 05.11.2024 द्वारा भेजा गया है । निविदा की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी प्राक्कलित राशि 28,30,000/-(अठाइस लाख तीस हजार) रूपये मात्र है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध है, इसमें इतना ही कहना है कि निविदा की कार्रवाई कब तक मंत्री जी करायेंगे ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा प्रकाशन हेतु जो स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन, एल0ए0ई0ओ0 को जो निर्देश दिया है, उसके अनुसार हमलोग अगले एक माह में निविदा वाली प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया में वक्त लगेगा, लेकिन इसको हमलोग प्राथमिकता में ले लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-9(श्री मनोहर प्रसाद सिंह,क्षेत्र सं0-67,मनिहारी(अ0ज0जा0)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए मनोहर जी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है सर ।

अध्यक्ष : उत्तर इनके पास नहीं है, शिक्षा मंत्री जी, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि याचिका संख्या-20406/2018 मो0 अलाउद्दीन बिस्मिल बनाज राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के अनुदानित 609 कोटि के सभी मदरसों का वेतनानुदान, जॉच पूरी होने तक विभागीय पत्रांक-110 दिनांक 27.01.2023 द्वारा स्थगित रखा गया है ।

विभागीय पत्रांक-927 दिनांक 17.09.2021 एवं 1064 दिनांक 29.10.2021 के आलोक में जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय जॉच समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसा को उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत विभागीय उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-770, दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रश्नगत मदरसा को छः माह के अन्दर प्रस्वीकृति की शर्त्तों को पूर्ण कर दावा प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया था ।

निर्धारित अवधि में प्रश्नगत मदरसा का दावा जिला त्रिसदस्यीय समिति का जॉच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ । फलतः विभागीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसा की प्रस्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा की गई, तदालोक में विभागीय पत्रांक-03, दिनांक 02.01.2024 द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली,

2022 के नियम 12(2) में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने हेतु मदरसा बोर्ड को निदेशित किया गया है ।

उक्त के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

महोदय, एक चीज और कहना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के जो 609 हमलोगों ने जॉंच किया, उसमें 528 मदरसों को सही पाया, वहां पर वेतनादि मिल रहे हैं और बाकी को निर्देशित किया गया है कि जो भी कमियां हैं, उसको पूरा करें ताकि उन्हें भी हमलोग इसको दे सकें । वर्तमान में 81 और मदरसों से इस तरह के प्रतिवेदन आये हैं, जिसमें हमलोग शीघ्र निर्णय लेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप जो हमारी अर्हतायें हैं, उसको पूरा कर दें तो बाकी कार्य हमलोग करेंगे । धन्यवाद ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, जो अर्हता पूरी करनी थी तो वह अर्हता पूरी करके 04.03.2024 को ही रिपोर्ट दे दिया है और उसमें छः कमरे बना दिये हैं, एक कार्यालय बना दिया है, इसके बाद फर्निचर उपलब्ध करा दिया गया है, शौचालय भी बना दिया गया है, उसके बाद भी उनको वेतनादि नहीं दिया जा रहा है और इनका 2023 से वेतन बंद है, इसमें तो 2 शिक्षक रिटायर हो गये । लेकिन अभी तक वेतन बंद है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इन लोगों का वेतन शीघ्र विमुक्त किया जाय ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, लगभग दो साल हो गये, सरकार ने कहा था कि दो साल से 81 मदरसों का वेतन बंद है । दो साल से वेतन बंद होना बहुत ही गंभीर विषय है, उसका जीवन यापन करना मुश्किल होगा । इसलिए सरकार कब तक तमाम दावों को निष्पादित करके वेतन चालू कर देगी ?

अध्यक्ष : बैठ जाईए । सरकार ने जो जवाब दिया है कि जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है और दूर करके वे आवेदन देंगे तो होगा, उन्होंने ऐसा कहा है ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए बहुत चिन्तित रहते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूॅं । इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक मामला है सर .....

अध्यक्ष : इस प्रश्न के संदर्भ में आप पूरक पूछिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, सदन बहुत अल्पावधि के लिए है और यह अल्पसंख्यकों का मामला है, मदरसा का मामला है सर । 2407 कॉलेज यानी मदरसे में लगभग 800 मदरसों का जॉंच पूरा हो गया है, उसका वेतन कब तक जारी करेंगे सर, यह कहवा दिया जाय, मेहरबानी होगी सर । अल्पसंख्यक समुदाय में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस

पहल से काफी खुशी है, लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जॉच के नाम पर, जरा कहवा दिया जाय सर ।

अध्यक्ष : बैठ जाईए । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, यह जो उन्होंने कहा कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है । अगर ऐसी मंशा रही होती तो हमलोगों ने इतनो को 500 से अधिक मदरसों को वेतनादि नहीं देते, अब तक जितने भी रिपोर्ट आये हांगे, एसेम्बली सेशन के बाद हमलोग उसकी समीक्षा कर लेंगे और जो भी उपयुक्त पाये जायेंगे, दिसम्बर माह में हमलोग निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-10(श्रीमती मीना कुमारी,क्षेत्र सं0-34,बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्तमान में एन0ई0पी0 2020 के अंतर्गत आई0टी0ई0पी0 कोर्स लागू होने के पश्चात् इन संस्थानों में कुछ पद रिक्त होंगे ।

2. वर्तमान में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थान यथा CTE, DIET, PTEC एवं BITE संचालित है । जिसमें NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स यथा D.El.Ed. B.Ed. एवं M.Ed. संचालित हो रहे हैं, जिसमें नामांकित छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई । शिक्षकों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र भी बनाये गये हैं ताकि समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्पादित किया जा सके । अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थायी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है । अतएव सुचारू रूप से प्रशिक्षण संचालन के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत पूर्णतः अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति मानदेय पर वर्ग संचालन के लिए की गई है ।

वर्तमान समय में शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना में संविलियन किया गया है । तदालोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के पुर्नगठन के उपरांत नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महादेय, उत्तर संतोषजनक है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि राज्य में ट्रैनिंग कॉलेज डायड एवं बायड में कब तक सरकार नियुक्ति करना चाहती है, इसका समय सीमा बता दिया जाय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, जैसा कि पूरा सदन जानता है, बिहार जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो शिक्षकों की कमी थी तो उसको हमलोग पूरा कर रहे हैं, हाल में भी 1 लाख 14 हजार शिक्षकों की नई नियुक्तियां भी हुई है, इसके पूर्व में भी बी0पी0एस0सी0 से भी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं और हमलोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक हैं, साल में दो बार एक सप्ताह की उनकी ट्रैनिंग होगी तो इसलिए वर्तमान में हमलोगों ने डिपुटेशन इत्यादि से और जो एस0सी0ई0आर0टी0 का मुख्यालय है, जो डायट है, उसमें ट्रैनिंग चल रही है, इसमें जो कमियां हैं, जब शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, उसके बाद इसको हमलोग टेकअप करेंगे । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-11(श्री ललित कुमार यादव,क्षेत्र सं0-82,दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त जर्जर भवन के खपरैल छत को विद्यालय प्रशासन की सहमति से तोड़ा गया है । खपरैल छत हटाने के बाद पता चला कि भवन की दीवार बहुत ही जर्जर है ।

तदोपरान्त नये प्लस-2 मॉडल भवन का प्राक्कलन तैयार कर BSEIDC, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया । पुराने जर्जर भवन के खपरैल छत को तोड़ने से प्राप्त लकड़ी, तार, बांस, लोहा एवं करकट को विद्यालय प्रशासन को हस्तगत करा दिया गया था । प्रधानाध्यापक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोहा एवं करकट से विद्यालय प्रशासन द्वारा लगभग 100 फीट लम्बा साईकिल स्टैंड का निर्माण कराया गया है ।

प्रबंध समिति के सदस्य की मौजूदगी में विद्यालय संयुक्त समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में डाक द्वारा कुछ सामग्री को बेचकर राशि को विद्यालय विकास कोष में जमा कर दिया गया । शेष लकड़ी, बांस एव तार विद्यालय में रखा हुआ है ।

प्रधानाध्यापक, प्लस-2 जनता उच्च विद्यालय, जीवछघाट, दरभंगा सदर द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है ।

3. अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि चहारदिवारी का निर्माण कार्य होने से पूर्व अंचल अधिकारी, दरभंगा सदर को प्रधानाध्यापक, प्लस-2 जनता उच्च विद्यालय, जीवछघाट, दरभंगा सदर के स्तर से विद्यालय सीमांकन हेतु पत्र दिया गया था, जिसके आलोक में दिनांक 20.05.2024 को अंचल अमीन दरभंगा सदर द्वारा हस्ताक्षरित सीमांकन पत्र विद्यालय को प्राप्त हुआ । तदालोक में जहां सीमांकन में कोई विवाद नहीं था, वहां चहारदिवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं जहां पर विवाद हुआ, वहां चहारदिवारी का निर्माण कार्य संप्रति रूका हुआ है ।

प्रधानाध्यापक, प्लस-2 जनता उच्च विद्यालय,जीवछघाट, दरभंगा सदर अपने पत्रांक-253, दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंचलाधिकारी, सदर को चहारदिवारी का निर्माण कार्य प्रशासन की देख-रेख में पुनः शुरू कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

4. उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब प्राप्त है लेकिन सरकार का जवाब संतोषप्रद नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये बोले हैं कि खपड़ैल के मकान को तोड़ दिया गया, क्या सक्षम प्राधिकार था जिनसे अनुमति ली गई? दूसरा महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस विद्यालय के बेशकीमती लकड़ी को, लोहे को बेच दिया गया, कहा जा रहा है कि प्रबंध समिति के आदेश के प्रत्याशा में । दूसरा महोदय, बेशकीमती लकड़ी को बेच दिया गया और किस वरीय पदाधिकारी से जॉच कराकर ये जवाब दिये हैं, माननीय मंत्री जी बतायेंगे ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, फिलहाल तो हमलोगों के जिला स्तर के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वहां से जवाब आया है । अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो ये जिनसे कहेंगे, हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है किसी से जॉच कराने में, अगर कोई कमी पायी गयी है, मैंने पूर्व में भी कहा है, दो-दो जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने निलंबित किया, एक-दो की फाईल समीक्षा हेतु लंबित है, उसपर भी कार्रवाई करेंगे। इससे भी वरीय जो आर0डी0डी0 या मुख्यालय से कोई टीम भेजकर के जॉच करा लेंगे । अगर कोई कमी पायी गयी, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमलोग बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है । धन्यवाद ।

श्री ललित कुमार यादव : माननीय मंत्री जी, आप इतना बता दीजिए कि प्राक्कलन राशि कितने की थी और कितने खर्च हुए हैं और खर्च हुए हैं तो वह वैध है ?

अध्यक्ष : जब माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आप कहिए हम जॉच करा देंगे तो आप इसकी विभाग से जॉच करा दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा ही ।

श्री ललित कुमार यादव : खर्च कितना हुआ, उसके बारे में बता दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है लेकिन चहारदिवारी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अधिकांश बन गया है, कुछ जगह बाकी है, चूँकि उसमें विवाद है। फिर भी हमने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कार्य सही नहीं हो रहा है....

श्री ललित कुमार यादव : राशि के बारे में तो बतला दीजिए ।

अध्यक्ष : जॉच करा दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : राशि के बारे में आपने नहीं पूछा था तो चहारदिवारी के बारे में पूछा था, उसमें कुछ बन गया है लेकिन फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं....

टर्न-6/पुलकित/26.11.2024

श्री ललित कुमार यादव : माननीय मंत्री जी हम आपसे पूछे हैं और जानकारी भी आपको देना चाहते हैं कि इसमें भारी लूट-खसोट हुई है इसीलिए सदन में यह प्रश्न आया है । महोदय, अच्छे भवन को तोड़कर लोहे और बेशकीमती लकड़ी का सामान बेच दिया गया, किस सक्षम प्राधिकार से इजाजत ली गयी, परमिशन ली गयी ? अगर परमिशन नहीं ली गयी तो आपके पास 15 दिन पहले प्रश्न आया, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की ? अगर कार्रवाई नहीं की तो क्या यही सुशासन की सरकार है ?

अध्यक्ष : ललित जी, भाषण मत दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, सुशासन की सरकार है तभी तो इतनी नियुक्तियां हो रही है और जो बदलाव सरकारी स्कूल की व्यवस्था में आया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप प्रश्न देखिए और उसका जवाब देखिए । उसके बाद आप कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : सुन तो लीजिए, जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अगर अनियमितता दिखती है तो हम जांच कराने के लिए तैयार है, जांच करवा देते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : किससे जांच करायेंगे यह भी तो बतायें ? मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से जांच करायेंगे ।

श्री सुनील कुमार मंत्री : मुख्यालय स्तर से जांच करायेंगे ।

अध्यक्ष : मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से जांच करायेंगे, अब हो गया ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है ।

अध्यक्ष : इससे जुड़ा नहीं है, आप कहां चले गये ? वहां कहां चले जाइयेगा आप ? यह राज्य स्तर का सवाल नहीं है, यह एक विद्यालय का सवाल है ।

श्री अजय कुमार : सर, मेरा सवाल है कि प्रबंध समिति के.....

अध्यक्ष : यह जनता उच्च विद्यालय का सवाल है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रबंध समिति से कोई इजाजत नहीं ली गयी । आप बताइये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह वह सवाल नहीं है । माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

(व्यवधान)

अलग से प्रश्न करिये । यह प्रबंध समिति का सवाल नहीं है । माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

एक मिनट, आपलोग मेरी बात सुनिये । आप पूरे सवाल को पढ़िये । अगर आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा । पूरे सवाल में केवल एक बात है पर्टिकुलर विद्यालय की प्रबंध समिति के बारे में । यह जनरल नहीं है इसलिए जनरल डिसिजन नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

अलग से प्रश्न करिये, आपको जवाब मिलेगा ।

माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी । उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये।

तारांकित प्रश्न सं0- 12, श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक है । विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्नातक प्रथम खंड के नामांकन में पूर्णियाँ विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयों में नामांकन हेतु कट ऑफ के साथ मेरिट लिस्ट विगत तीन वर्षों से जारी की जा रही है ।

2- अस्वीकारात्मक है । विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष-2024 में नामांकन हेतु तकनीकी खराबी के कारण आवेदित कतिपय विद्यार्थियों का डाटा डिलिट हो गया, जिसे बाद में ठीक कर मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया जा चुका है ।

3- उत्तर कंडिका 1 एवं 2 के आलोक में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषप्रद नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय के लिए जिस एजेंसी को स्नातक प्रथम खंड के नामांकन के लिए अधिकृत किया गया है, उस एजेंसी के द्वारा वगैर कट ऑफ किये हुए, छात्रों के द्वारा ऑनलाईन जो आवेदन दिये जाते हैं । उसकी प्रक्रिया को वगैर पूरा किये हुए मेरिट लिस्ट को निकाला जाता है और उसका सीधा-साधा प्रमाण है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : मैं जानना चाहता हूँ कि जिसका 74 प्रतिशत मार्क्स आया उसका एडिमशन पूर्णियाँ विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में नहीं आया और जिसका 47 प्रतिशत और 54 प्रतिशत मार्क्स आया उन छात्रों का नामांकन हो गया वगैर मेरिट लिस्ट को प्रकाशित किए हुए । ये दोनों प्रमाण मेरे पास में है ।

अध्यक्ष : केशरी जी, आप पूरक पूछिये । कैसे एडमिशन हो गया, आप यही पूछना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : जी महोदय । मैं एजेंसी पर कार्रवाई करने का नियमन चाह रहा हूँ ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके संबंध में वहां के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है जिसको हमने उत्तर के रूप में देखा। लेकिन जो स्पेस्फिक बातें माननीय सदस्य बता रहे हैं कि जिन छात्रों को असुविधा हुई हैं या मेरिट रहते हुए भी उनका नामांकन नहीं हुआ है, माननीय सदस्य उसकी डिटेल अलग से दे दें और हमलोग निश्चित रूप से जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उनके स्तर से जांच करवा लेंगे क्योंकि एजेंसी उन्हीं के द्वारा नामित की गयी है जो यूनिवर्सिटी होती है उन्हें हमारे एक्ट के तहत गर्वनेंस का इंडीपेंडेंस है । अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम निश्चित रूप से अलग से डायरेक्टर हायर एजुकेशन से दिखवा लेंगे और जो भी इसमें कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिए । जब आपको लगता है कि जिन छात्रों के नंबर कम आये उनका एडमिशन हो गया और ज्यादा नंबर वाले छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है, अगर कोई कागज आपके पास है तो उसे माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला एक बच्चे के एडमिशन का नहीं है । इसमें 7500 छात्रों का.....

अध्यक्ष : कोई एक प्रमाण चाहिए ?

श्री विद्या सागर केशरी : जी महोदय ।

अध्यक्ष : आपके पास प्रमाण है आप बता रहे थे कि कम नंबर वाले बच्चे का एडमिशन हो गया और ज्यादा नंबर वाले किसी बच्चे का नहीं हुआ । आप कागज दे दीजिए, मंत्री जी जांच करायेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : बिलकुल । मैं एक बात और बताना चाहता हूँ । एजेंसी ने बताया है कि तकनीकी खराबी के चलते इस डाटा को वगैर देखे मेरिट लिस्ट को जारी की ।

अध्यक्ष : जब जांच करायेंगे तो उसमें सारी बात सामने आयेगी । पहले जांच ही हो सकती है बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती । जांच कराने के लिए सरकार तैयार है ।

श्री विद्या सागर केशरी : जांच करवा ली जाए महोदय ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, स्पष्ट इस प्रश्न में पूछा गया कि 7500 छात्रों का डाटा डिलीट कर दिया गया है । अब तकनीकी गड़बड़ी थी या मोटिवेट होकर कर दिया गया । इसमें स्पष्ट है कि अवैध उगाही से ऐसे छात्रों का जिनका नामांकन होना चाहिए था नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, सरकार जांच करायेगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : तो क्या प्रदेश की कमेटी से उसकी जांच करवा दें, जो प्रदेश की कमेटी के अधिकारी है ।

अध्यक्ष : जांच करेंगे । डायरेक्टर करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-13, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र सं0-224, रफीगंज)

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखण्ड रफीगंज के पंचायत केराप के ग्राम नवॉखाप स्थित प्राथमिक विद्यालय नवॉखाप का संचालन जिला पार्षद द्वारा निर्मित एक वर्ग कक्ष में किया जा रहा है । उक्त विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या 87 है, एक शौचालय, एक समरसेबुल एवं एक पानी टंकी की सुविधा उपलब्ध है ।

उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 07 डि0 भूमि दान स्वरूप एवं अंचलाधिकारी द्वारा 15 डि0 भूमि का अनापत्ति उपलब्ध है । उक्त भूमि पर 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 02 यूनिट शौचालय (बालक/बालिका) एवं 01 किचेन शेड के निर्माण हेतु प्रस्ताव ली गयी है ।

उक्त निर्माण कार्य मार्च, 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, उत्तर प्राप्त है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो आपने उत्तर में दिया है इसका निर्माण कब तक कम्प्लीट करा दीजियेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को हम सूचित करना चाहेंगे कि इसकी निविदा हो चुकी है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा और जो हमलोगों ने इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि मार्च, 2025 तक इसको निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाएगा, इसके लिए राशि भी उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : यह तो आपके उत्तर में लिखा हुआ है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : मेरे पास जो कॉपी है उसमें नहीं लिखा हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमने जो कहा वह सही है । हमने वहां जाकर कल रात में ही डिटेल ले ली थी ।

तारांकित प्रश्न सं0-14, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1 - आंशिक स्वीकारात्मक । बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित को मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है । मुआवजा भुगतान में शीघ्रता लाने हेतु बीमा कंपनियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है । वर्तमान वर्ष में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अबतक 653.8 लाख रूपये पीड़ित को मुआवजा का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जा चुका है। जिन बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा भुगतान में विलम्ब किया जाता है, उनसे पत्राचार कर मुआवजा भुगतान कराया जा रहा है । इसके अनुश्रवण के लिए सहायक राज्य परिवहन पदाधिकारी को नामित किया गया है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक । हिट एंड रन वाहन दुर्घटना स्कीम 2022 के अन्तर्गत दिनांक-01.04.2022 से 31.03.2023 तक घटित वाहन दुर्घटना के 2233 मामलों में मुआवजा का भुगतान किया गया है । बचे मामलों में मुआवजा भुगतान में शीघ्रता लाने हेतु साधारण बीमा परिषद्, मुम्बई से लगातार अनुरोध किया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में पूछना चाहती हूं । महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ वर्ष 2023-24 में पेमेन्ट्स हुए हैं, भुगतान बीमा कंपनियों के द्वारा हुए हैं लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि किन-किन बीमा

कंपनियों के द्वारा कितना-कितना भुगतान अभी तक लंबित है और अभी तक कितने परिवार उसमें प्रभावित हो रहे हैं ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चलाकर के अभी 3900 दुर्घटना पीड़ितों को 46 करोड़ रुपये का भुगतान इस वर्ष किया गया है और कुछ बीमा कंपनी है जो धीमी गति से काम कर रही है, उसपर निरंतर हमलोग काम कर रहे हैं । उसके साथ हम बैठक भी कर रहे हैं ताकि वे जल्द से जल्द काम को निष्पादित करे, इसके लिए हमलोग लगे हुए हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरा प्रश्न था कि किन-किन बीमा कंपनियों से, इस पर माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसपर अलग से उत्तर देंगी और 30 दिनों में कंपनियों को मुआवजा देना होता है लेकिन कंपनियों द्वारा लगभग तीन साल से मुआवजा नहीं दिया गया है । उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है । सिर्फ अनुरोध करने से मुझे नहीं लगता है कि पीड़ित परिवारों को भुगतान मिलेगा ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, उसके लिए न्यायालय गठित किया गया है और हमलोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले इसलिए बीमा कंपनी से बात भी कर रहे हैं और उसके साथ निरंतर बैठक भी कर रहे हैं ताकि जल्द इसका निष्पादन हो सके ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक बाकी है, पहले मैं अपना पूरक पूछ लेती हूं । मेरा आग्रह है कि इसको करे और कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी गठित करे और दूसरा 2019 से 2022 तक आपदा प्रबंध विभाग मुआवजा दिया करता था उसमें भी काफी परिवारों, हजारों परिवारों का मुआवजा बाकी है तो क्या सरकार शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाकर उन पिछले 2019 से 2022 तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का प्रावधान रखती है, क्या सरकार का कुछ प्लान है ?

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, जल्द ही इसको निपटा लेंगे, देख लेते हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से बीमा कंपनियों को मुआवजा देने का काम दिया गया है तब से मुआवजा नहीं मिल रहा है और सबसे कम मुआवजा मिल रहा है । मात्र दो लाख रूपया मुआवजा मिल रहा है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्व की तरह आपदा के माध्यम से दुर्घटना में मुआवजा दिया जाए, सरकार इसके बारे में पहल करे ।

टर्न-7/अभिनीत/26.11.2024

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-26 नवम्बर, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

1-श्री अखतरूल ईस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री महानंद सिंह, श्री विजय कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री शकील अहमद खाँ, श्री संदीप सौरभ, श्री मुकेश कुमार यादव एवं श्री रामबली सिंह यादव ।

2. श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अत: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं केवल दो-तीन मिनट ही हम लेंगे । ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि और भी कार्यक्रम है, सदन में और भी बिजनेस है । माननीय विजय चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं । आप सबलोगों को पता है कि हमारी सरकार जब साथ में थे इससे पहली वाली सरकार 17 महीने तो हमलोगों ने जातीय आधारित गणना करायी थी और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती । इसलिए हमलोगों ने सर्वे कराया था और उस सर्वे के आधार पर हमलोगों ने आरक्षण की सीमा 65 फीसदी करने का काम किया था जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हमलोगों ने बढ़ाया और ई0डब्लू0एस0 10 परसेंट एज इट ईज रखा ।

महोदय, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर कम-से-कम यह चर्चा, कम-से-कम सरकार से इच्छा की जायेगी कि इसका कम-से-कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में जो 65 परसेंट हमलोगों ने बढ़ाया था इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए ? अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाईकोर्ट से 09.11.2023 में यह पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा और यह 20.06.2024 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा और यह दिया गया कि इसका प्रोपर स्डडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया

गया । महोदय, हमारा यह सवाल है कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्रीजी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो हैं किसी–न–किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त करायेंगे इसलिए माननीय मुख्यमंत्रीजी ने....

(व्यवधान)

एक मिनट, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए । अध्यक्ष महोदय बात यह है..

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : एक चीज जानकारी देना चाहेंगे..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम बोल लेंगे तो बोलिएगा । मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए फिर आप बोलिएगा ।

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : पहली बात तो आपकी सरकार नहीं थी, माननीय नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महागठबंधन की सरकार । जैसे आप हैं न, जैसे आप हैं, अभी किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है क्या ? भाजपा की सरकार नहीं है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना...

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बगल में बैठे हैं प्रमाण ले न लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के, शोभा नहीं देता है । बिना प्रमाण के बात रखना, ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । बैठिए ।

बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : देखिए, माननीय मुख्यमंत्रीजी के कहने पर..

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट ।

आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने यह बात कही थी कि संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे तो बात में

वजन भी आता है, मैं सभी से मैं अपेक्षा करता हूं, केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं सबसे अपेक्षा करता हूं कि अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आयेगा । बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो समय दिया उसके लिए हम आभारी हैं और हमलोग भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्रीजी और हमलोगों ने जब पारित किया 09.11.2023 में तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश पर कि डर है कि कहीं यह कानून जो हमलोगों ने आरक्षण का लाया यह खत्म न हो जाये, इसके लिए आप सबलोग मिलकर के प्रेस-कांफ्रेंस कर लीजिए और सम्राट चौधरी जी आप जो बोले वह थोड़ा प्रेस-कांफ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को, उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था आपको प्रमाण मिल जायेगा । चालिए, दूसरी बात मेरी यह है कि अब तो स्टडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हमलोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आर0जे0डी0 भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के, अब मेरा सवाल यह है कि जो बहालियां हो रही हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है 16 परसेंट का, हो रहा है न ? महोदय, यह गंभीर मसला है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको भारी नुकसान हो रहा है । मेरा यही कहना है कि सरकार और देश में यह पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जातीय आधारित गणना भी हुई और 65 फीसदी आरक्षण की सीमा भी तय की गयी । पहली बार इतना बड़ा निर्णय हमलोगों ने लिया उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे ? अब महोदय, दो प्वायंट खाली हम रखना चाहते हैं कि 2023 में यह लागू हुआ..

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : इतना लंबा ये बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुन लीजिए न ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उस जगह नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे तो यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे । आज खुलकर के बोल रहे हैं, यही अंतर है । जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हम डिबेट कर रहे थे तो आप माईक बंद कर दिए थे...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अवगत करा रहे हैं आपको । अवगत करा रहे हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमलोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : तेजस्वी जी, बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : दो प्वायंट ।

अध्यक्ष : संक्षेप में बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चौधरी जी, 09.11.2023 को यह लागू हुआ और निरस्त जो हाईकोर्ट से 20.06.2024 में हुआ । आपलोगों की मांग थी कि इसको शिड्यूल-9 में डाल दिया जाय । अगर आपलोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार तो इसको शिड्यूल-9 में क्यों नहीं डाला गया ? पहला प्रश्न । दूसरा महोदय कि अभी भी हमलोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्रीजी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी और दोनों चौधरी जी कर दें तो ज्यादा भार पड़ जायेगा, अगर कर देंगे तो कम-से-कम यह कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है यही न कोर्ट कहा तो स्टडी तो ई0डब्लू0एस0 का भी नहीं हुआ था जो 10 परसेंट मिला उसका कौन सा आधार था । यह तो हमलोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराकर आरक्षण दिया । तो अभी हमलोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दो-दो डिप्टी सी0एम0 हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो-दो हैं, तो महोदय यही हमारी मांग है..

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अब हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, केवल मेरी मांग सुन ली जाय । इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेम्बली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले और..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुन लीजिए न । आप डिप्टी सी0एम0 हैं , डिप्टी सी0एम0 जैसा व्यवहार कीजिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप इधर देखकर बात कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : जब बोलने का मौका नहीं देते थे तो शोभा नहीं देता था । संवैधानिक पद का अपमान करने वाले संविधान की बात कर रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारी यह मांग है कि स्टडी के लिए एक कमेटी विधान सभा की सरकार बना दे और यह जो पांच दिन का सत्र है इसको एक-दो दिन और बढ़ा दे और कैबिनेट से जो संशोधन करना है, कम-से-कम 65

परसेंट नहीं, 85 परसेंट आप कर दीजिए । 10 परसेंट और बढ़ाकर बिल ले आइये हमलोग सब मिलकर पास करने का काम करेंगे, यही मांग है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

टर्न-8/हेमन्त/26.11.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपना पक्ष रखना न सिर्फ लाजिमी है, बल्कि हक है । महोदय, हमको बोलने के दो-दो प्रसंग बन गये हैं । एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से उस वक्त हम साथ भी थे और दूसरा, जिस विभाग से यह मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की विधान सभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है । इसलिए मैं उचित समझता हूं कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं ।

महोदय, आसन अवगत है और हम समझते हैं कि सदन के लगभग सभी सदस्य अवगत हैं और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि यह मामला जब-जब आया है, लगभग सभी दलों ने और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखायी है इसमें कोई दो राय नहीं है । अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार में इसकी गिनती करायी थी, सही बात है । उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ में सरकार में थे । सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी । महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे । महोदय, लेकिन....

(व्यवधान)

हम कहां इंकार कर रहे हैं ? हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग दिया है ।

अध्यक्ष : बैठे-बैठे टिप्पणी मत करिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सारे दलों ने सहयोग दिया है । सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि यह विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था । उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया । हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रहकर साथ दिया था । आप लोगों ने भी साथ दिया था, विरोध में भी रहकर और हम लोगों के साथ सरकार में भी रहकर । तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही यह भी सही है कि जातीय गणना

कराने का पहला फैसला जब मंत्री परिषद् से लिया गया था वह एनडीए की हुकूमत थी और इसलिए हम लोगों ने लिया था और हम आपके योगदान से इंकार नहीं करते । आपने सहयोग दिया है । महोदय, जब यह गणना हुई थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जब यह पहला फैसला...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये जनक जी । बैठिये आप ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जब यह पहला फैसला मंत्रिमंडल से हुआ था उस समय भी हुकूमत एनडीए की थी और जब रिपोर्ट रखी गयी और आरक्षण की सीमा बढ़ायी गयी वह भी एनडीए की ही सरकार के समय में हुआ । इसलिए दोनों छोर पर हमारे पुराने साथी ही हमारे साथ में थे, सहयोग आपने भी दिया था । महोदय, जहां तक नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, अब मौलिक आइडिया यह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उनके दिमाग में बात कैसे आयी थी, इन सब बातों का तजकिरा, मेरे ख्याल से बहुत समय हो चुका है, उसका जिक्र करके...

(व्यवधान)

आप बैठिये न, आपकी बात पर फिर हम आ रहे हैं । महोदय, दूसरी बात है कि इन सारी बातों के होते हुए भी हम सबकी राय बनी थी कि इस कानून को नौवीं अनुसूची में डाला जाय । यह हम सबकी राय थी, इस राय से भी कोई अलग नहीं था । महोदय, नौवीं अनुसूची में डालने का....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विषय गंभीर है, सुनिये । आप इसको मजाक में ले रहे हैं । इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, सारा सदन इसके लिए चिंतित है । कहा जा रहा है, सुना करिये, समझा करिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नौवीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि इसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाय, लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गये और यह कानून ही निरस्त कर दिया । महोदय, यह कानून ही निरस्त कर दिया गया, लेकिन मुझे पिछली दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेकर कि नौवीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो । महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वह कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है और जो नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे, हमको यह बताने में क्या छिपाना है, चूंकि वह कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निदेश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी । आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको बहालियों को जारी रखना है । यह सारे निदेश न्यायालय ने दिये हैं ।

इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से यह हो रहे हैं । महोदय, दूसरी बात हम यही कह रहे थे कि इसमें जब सभी दलों का, सभी नेताओं का विचार एक ही जगह है, तो इसमें अनावश्यक राजनीति की तो कोई गुंजाइश नहीं है, यह तो पूरा बिहार जानता है कि किसकी आगुवाई में काम हुआ, किन-किन लोगों ने समर्थन दिया और सरकार सब लोगों को धन्यवाद देती है और सब लोगों से अपील भी करती है कि जो लोग भी जिस हैसियत से, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वहां पहुंचकर सरकार के द्वारा लागू की गयी बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को फिर से बहाल करने में जो मदद कर सकते हैं, वह करें, अगर यह होता है तो सरकार उनकी भी एहसानमंद होगी । महोदय, हम लोग तो खुले तौर पर चाहते हैं । जिस दिन उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया उसके अगले दिन से तैयारी करके कम-से-कम समय में अपील दाखिल की और इस बीच में इंटीरिम स्टे की भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना है । आपने संविधान दिवस की सभी लोगों को शुभकामना दी है । हम सब लोग संविधान से बंधे हुए हैं और न्यायालय को जो ज्यूडीशियल रिव्यू की पावर है उसके तहत उन्होंने कर लिया है । हम लोगों ने तो नौवीं अनुसूची से लेकर इस तरह के जो सामाजिक प्रगतिशील कानून होते हैं उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए नौवीं अनुसूची की अवधारणा बनी थी और महोदय, यह सबसे बड़ी बात है कि संविधान का पहला संशोधन भी इसी आधार पर हुआ था और एक अनुसूची बनायी गयी और हम बिहार के लोग तो भाग्यशाली हैं कि यह अनुसूची संविधान में जोड़ी ही गयी थी बिहार ने जो जमींदारी, जिसे लैंड रिफोर्म्स एक्ट कहते हैं, भूमि सुधार अधिनियम जिसको बोलचाल की भाषा में जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं वही लागू हुआ था और कोर्ट जब उसकी समीक्षा करने लगी थी, तो उस समय की केंद्र सरकार ने और सारे नेताओं ने, क्योंकि यह तो 1948-50 की बात है, उस समय सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए ही राजनेता थे, उन्होंने यह उचित समझा कि समाज में कुछ बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे, जो न्यायालयी समीक्षा से बाहर रखे जायेंगे । महोदय, हम लोग तो उसके लिए भी लगे हुए हैं । कानून एक बार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, फिर हम लोग इसको नौवीं अनुसूची में भी डलवाने का प्रयास करेंगे । महोदय, इसलिए सरकार सभी दलों के प्रति आभारी है कि सब लोगों ने इसमें मुख्यमंत्री की पहल में समर्थन दिया ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

अध्यक्ष : नहीं अब नहीं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, एक-दो बात कहनी है ।

अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है । सुन लीजिए न, उप मुख्यमंत्री जी बोलेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बस दो मिनट । वह बोलें, हम सुनेंगे ।

महोदय, हम लोगों ने मंत्री जी की बात को अच्छे से सुना । आपको जिसको श्रेय देना है दे दीजिए । हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को, जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वह मिले । दूसरी बात कि नवम्बर में यह पारित होता है, कोर्ट के आदेश से यह रद्द होता है अगले साल सातवें महीने में 2024 में, तो सात महीने में अनुसूची नौ में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना, तो आप किसको दोषी समझते हैं । तीसरा, महोदय, हमारी जो मांग थी, अभी भी आप कमिटी बनाने के पक्षधर हैं कि नहीं और दूसरा बिल ले आइये उसमें संशोधन कर दीजिए ।

...क्रमशः..

टर्न-9/धिरेन्द्र/26.11.2024

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, उसमें 75 परसेंट था इसमें 85 परसेंट करके लाइये, हमलोग बढ़ा देंगे । बस यही चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गयी, गलतफहमी मत फैलाइये, 15 साल आपके आदरणीय माता जी, पिता जी को राज करने का मौका दिया था एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला था । बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं । यहां तो वर्ष 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया का आरक्षण नहीं था, न अति पिछड़ा को, न दलित को और आप कहानी सुना रहे हैं । वर्ष 2006 में जब एन०डी०ए० की सरकार बनी तब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला । यह कहां से आप सीखा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : देखिये, मैं जानता हूँ, आपको जानता हूँ अच्छे से । बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 15 साल को लोग भूले नहीं हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं । एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को । कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, बिना आरक्षण का और किसी भी हालत में....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आपकी बात सुनी गयी है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सब लोग जानते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनकी बात सुनें ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आज के आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण के नहीं है । यहां बिहार में भी कोई बिना आरक्षण के नहीं है, सभी वर्गों में आरक्षण है, तो क्या यह जो मजाक आप बना रहे हैं । ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम बेफिक्र रहिये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जब उसका निष्पादन होगा तो जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली, 2022 एवं बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं । महोदय, इस सदन में ही संविधान दिवस जब विधान सभा अध्यक्ष के उस आसन पर हम बैठते थे तो मनाते थे और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी इस आसन पर बैठते थे । आज लोकतंत्र की खूबसूरती है एन॰डी॰ए॰ की सरकार में यह आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब हम वहां बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माईक बंद कर देते थे और आज नेता प्रतिपक्ष जो वहां बैठे हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव

जी, यहीं बैठते थे । उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी । महोदय, यह करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार-बार अपमान करते हैं और ऐसी मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है । बिहारी शब्द को इनलोगों ने गाली बना दिया संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान करके, संविधान के विरुद्ध अपनी मानसिकता को बार-बार झलकाया है महोदय, और ये लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते हैं । जनता को भ्रमित करने और भ्रमाने का सिर्फ खेल खेलते हैं । ये परिवारवादी, वंशवादी, अपनी जमींदारी चलाना चाहते हैं । आम लोगों को, आम बिहारी से इन्हें कोई लेना-देना नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, रिपोर्ट पढ़िये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-।। भर्ती नियमावली, 2019 एवं बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-।। भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के लिए अधिसूचित विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023, अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023, वैज्ञानिक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 एवं प्रयोगशाला सहायक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के क्रमशः वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 एवं 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण अंतर्गत योगापट्टी अंचल के आठ पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए, पंद्रह हजार चार सौ चौवालिस परिवारों की सूची दी गई लेकिन बारह सौ तैंतिस परिवारों को ही आपदा राशि देकर वितरण रोक दी गई ।

सदन से अनुरोध है कि सभी पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता आदि पेंशन चार सौ रुपये मात्र प्रतिमाह भुगतान करती है जो कि महंगाई की दृष्टि से यह राशि बहुत कम है । मैं सरकार से उक्त राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिजली उपभोक्ताओं का अधिक बिल बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर लगने के बाद बार-बार लाईट कट जाती है, जिससे ज्यादातर गरीब उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है ।

अतः गरीब उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने के बाद स्मार्ट मीटर लगवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के दफादार, चौकीदार के आश्रित को 25.02.2023 से बहाली पर रोक लगा दी है ।

अत: चौकीदार दफादार के आश्रितों को उक्त पद पर बहाली करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट । चिंता मत कीजिये अभी का जो माईक सिस्टम है, बजट सत्र में जब आयेंगे आप तो नये स्वरूप में आपको सारा सिस्टम दिखाई पड़ेगा । बोलिये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सभी जीविका कैडरों को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र देकर सेवा नियमित करते हुए मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह करने एवं 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों के ऋण माफ करने की माँग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-10/संगीता/26.11.2024

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के हरिपुर एवं सैफगंज पंचायत में वर्ष 2017 में निर्मित कजरा नदी के बांध अनेक जगह जमींदोज होने से किसानों व आमजन को बाढ़ एवं बरसात में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, कजरानदी के बांध का जीर्णोद्धार कर पुनर्निर्माण की मांग करता हूं।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बाँका जिला के कटोरिया नगर पंचायत अन्तर्गत सफाई हेतु चयनित मेसर्स जीवन ज्योति सौताडीह को कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति की अनुशंसा कराकर निविदा से 35 प्रतिशत अधिक राशि भुगतान एवं सामग्रियों के क्रय में वित्तीय अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री बीरेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मध्य से गंडक एवं बागमती नदी बहती है । इन नदियों में जून-जुलाई माह में पानी आ जाता है । उस माह में नदी से पाइप के माध्यम से किसानों के खेत को धान रोपाई के लिए पानी उपलब्ध हो, ऐसा मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के कोशी नदी के दोनों तटबंधों के भीतर अवस्थित ग्राम पंचायत बौराहा तथा नौआबाखर के गांवों के लोगों को आवागमन को सुलभ बनाने के लिए परसाही घाट तथा सोनवर्षा घाट पर पीपा पुल निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अमरजीत कुशवाहा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुकेश कुमार यादव

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री समीर कुमार महासेठ

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयों द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन का वेरिफिकेशन के बावजूद छात्राओं को राशि अप्राप्त है । जिससे ग्रेजुएट छात्राएं करीब आठ महीने से परेशान हैं ।

अत: मैं सरकार से छात्राओं को उक्त योजना की राशि बैंक खाते में शीघ्र भेजने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री गोपाल रविदास ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत भारत माला योजना के तहत चोरमा से ढाका होते फुलवरिया घाट तक सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण वाले किसानों को 2023 के दर से मुआवजा की राशि का भुगतान राज्य सरकार करावें ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी प्रखंड अन्धराठाढ़ी के गांव कर्णपुर में महादलित गरीब युवा उम्र 17 वर्ष स्व0 विकास राम पिता टुनटुन राम को दिनांक-18. 11.24 को हत्या कर दिया । मैं सरकार से गरीब माता-पिता को 10 लाख रुपया देने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड में कोशी नदी के पार गोविन्दपुर मुशहरी एवं कहारपुर के ग्रामीणों को जाने के लिए हरिओ के पास त्रिमुहान घाट पर पीपा पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सत्कार चौक से कहलगांव हनुमान मंदिर तक एवं एनटीपीसी मुड़कटिया गेट से कहलगांव हनुमान मंदिर तक एवं RCD रोड से बैजू टोला होते अनादीपुर RCD रोड तक तीनों सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं ? प्रमोद जी आप ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी शहर के बीचो बीच स्थित मोती झील पर अत्यधिक जाम की समस्या हो जा रही है जिस कारण से आवागमन बाधित होती है । आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मोती झील पर ओवरफ्लाई पुल एन0एच0 से जोड़ते हुए एल0एन0डी0 कॉलेज तक...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी को लिखकर दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : निर्माण करावे और...

अध्यक्ष : बैठिए ।

श्री प्रमोद कुमार : इसे भारत सरकार के विशेष पैकेज में शामिल कराकर निर्माण करावे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अरूण शंकर प्रसाद, हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 14 मार्च 2024 को 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी । जिसमें लगभग 50 फीसदी आयुर्वेद, 30 फीसदी होमियोपैथ तथा 20 फीसदी यूनानी चिकित्सक हैं । नव नियुक्त आयुष चिकित्सकों को 2 जुलाई, 2024 में जिला आवंटन के साथ ही अस्पताल भी आवंटित कर दिया गया था । लेकिन सात माह बीतने के बाद भी इन चिकित्सकों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । जबकि आयुष चिकित्सकों ने लगातार स्वास्थ्य विभाग से वेतन भुगतान करने का आग्रह कर चुके हैं । इसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है । इस परिस्थिति में इन चिकित्सकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः उक्त आयुष चिकित्सकों को शीघ्र वेतन भुगतान हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष : समय चाहिये ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अजीत शर्मा, तारकिशोर प्रसाद एवं अन्य दस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपनी सूचना को पढ़ें ।

(अनुपस्थित)

श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, बिहार के राज्यकर्मियों के लिये दिनांक-01.01.1996 से केन्द्र सरकार के समरूप वेतनमान लागू है । 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता हो जाने के उपरांत भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्रांक-28.03.2024 P&PW(B)/Gratuity/9559 दिनांक-30.05.2024 के द्वारा दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से केन्द्रीय कर्मियों के लिये उपादान की राशि 20,00,000 (बीस लाख) रुपये से बढ़ा कर 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये कर दी गयी है । इसकी सूचना भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पत्रांक 25014/01/2024/-AIS-II (Pension) दिनांक-28.06.2024 द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भी दी गयी है ।

अतः केन्द्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्यकर्मियों के लिये भी दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से उपादान की राशि 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये किये जाने हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्यकर्मियों के लिये दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से उपादान की राशि 25,00,000(पच्चीस लाख) रुपये किये जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में सूचित करना है कि अलग-अलग राज्यों द्वारा इस संदर्भ में अलग-अलग निर्णय लिये जाते हैं । ऐसे कई मामले हैं जिसमें राज्य का निर्णय केन्द्र सरकार के निर्णय से अलग है । इस संदर्भ में वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : विचाराधीन ही नहीं है तो अब क्या है ।

टर्न-11/सुरज/26.11.2024

श्री तारकिशोर प्रसाद : राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मियों के समरूप राज्य के कर्मियों को वेतन भत्ते, मकान किराया भत्ता...

अध्यक्ष : आप तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं न, तो पूरक पूछिये न ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप राज्य के कर्मियों को वेतन भत्ते, मकान किराया भत्ता एवं उपादान इत्यादि स्वीकृत किया जायेगा । इसी आलोक में राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता केन्द्र के कर्मियों के हू-ब-हू दिया जाता है । परंतु केन्द्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी की सीमा 20 से 25 लाख किये जाने के बावजूद अब तक राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय नहीं लिया गया है...

अध्यक्ष : यह तो लिखा हुआ ही है न इसमें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अत: राज्य सरकार अपने पूर्व निर्णय के आलोक में राज्य के कर्मियों के ग्रेच्युटी की सीमा केन्द्र के अनुरूप करना चाहती है ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि विचाराधीन ही नहीं है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के द्वारा इस संदर्भ में जो निर्णय लिया जायेगा उसको राज्य सरकार पूरे तौर पर उसको लागू करेगी ।

अध्यक्ष : तारकिशोर जी सरकार की पूरी बात सुना कीजिये । सरकार ने कहा यह निर्णय राज्य सरकार अलग से लेती है । सभी निर्णय राज्य सरकार उसका हू-ब-हू लागू करेगी कोई आवश्यक नहीं है । अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग समय में अलग-अलग निर्णय लिये हैं । अभी इस विषय पर बिहार सरकार के सामने, वित्त विभाग के सामने यह विचाराधीन विषय नहीं है, यही सरकार ने जवाब दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब प्रमोद जी क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना है कि विचाराधीन नहीं है तो आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह कब तक विचाराधीन होगा ?

अध्यक्ष : बैठिये । अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/राहुल/26.11.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, कार्यस्थगन पर जब चर्चा...

अध्यक्ष : अब कहां कार्यस्थगन होगा ?

(व्यवधान)

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब उसका समय समाप्त हो गया है । बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, कितने बढ़िया से आपने फर्स्ट हाफ चलाया है । अब क्या हो रहा है ? बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड 2-37 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड 2-37 तक इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2-37 तक इस विधेयक का अंग बने ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बनी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें मूलतः जी0एस0टी0...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट । एक बात बताइये । इतनी अच्छी चर्चा हो रही है । नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, सरकार ने अपनी बात कही । इतनी बेहतर चर्चा हुई । सबकी भागीदारी हो गयी । उसके बाद क्यों शोर कर रहे हैं । क्या आप चाहते हैं कि बिल पास नहीं हो ? क्यों शोर करना चाहते हैं ? आप राजनीति स्थगित क्यों करना चाहते हैं, सदन का सर्वसम्मत प्रस्ताव था । सभी लोगों ने समर्थन दिया था, आपने केवल नहीं दिया था और तब राजनीति कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मंत्री जी।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 एक पैरलर टैक्स सिस्टम है । और...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पोस्टर हटाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : इसमें 01 जुलाई, 2017 को इस देश में पूरी नियमावली बनाकर जी0एस0टी0 को एक्ट के तौर पर पूरे भारत में लागू किया गया । जी0एस0टी0 परिषद् की 53वीं बैठक में की गयी सिफारिश को लागू करने के लिए एक्ट में (संख्यांक-02), 2024 द्वारा केन्द्रीय जी0एस0टी0 एक्ट में संशोधन किये गये ।

(व्यवधान जारी)

उसी के आधार पर आम लोगों को सहूलियत हो और लोगों को इसकी पूरी सुविधा मिल सके इसके लिए हम लोगों ने यह प्रस्ताव लाया है । धारा-11 (क) में, अधिनियम की धारा-11(क) में सरकार को किसी तरह के मामले में छूट देने के लिए अधिकार है जिसको इस बार हम लोगों ने जेनरल प्रेक्टीस के तौर पर धारा-11(ए) के माध्यम से ऐसे मामले को जेनरल प्रेक्टीस के माध्यम से, के कारण एवं कम वसूली के द्वारा जी0एस0टी0 के मामले में कर से छूट देने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

उसी तरह धारा-13 में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आर0सी0एम0 के टाईम ऑफ सप्लाई, इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है । इसी तरह धारा-16 में जो इनपुट टैक्स है उसको और आसान किया गया है । तीन साल तक जिन लोगों को भी इनपुट टैक्स लेना था, जिन लोगों ने 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया कि इसमें जिन लोगों ने भी क्रेडिट के लिए, इनपुट टैक्स के लिए दिया है उसके लिए समय-सीमा 30 नवंबर, 2021 तक कर दिया गया है

(व्यवधान जारी)

जिसके माध्यम से उनको क्रेडिट कार्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको तुरंत मिलने का काम होगा । उसी तरह धारा-39 में स्रोत कर/टी0डी0एस0 की कटौती की जाती थी इसको निल करना होगा प्रत्येक महीने चाहे वह सप्लाई करे, नहीं करे, टैक्स ले, नहीं ले वैसी स्थिति में भी निल रिर्टन टैक्स कंपलसरी करने का काम किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

इसके साथ-साथ धारा-74 (क) में यह निर्धारण किया गया है कि एनुअल जो टैक्स देना पड़ता था, नॉर्मल छूट दी जाती थी तीन साल के लिए एवं 73 और 74 मिलाकर जिसमें 74 यदि कोई जानबूझकर फ्रॉड करता था तो वैसी स्थिति में लोगों को दिक्कत होती थी,

(व्यवधान जारी)

रूटीन अमेंडमेंट है और इसको 5 साल तक के लिए हम लेते थे । इन दोनों को जोड़कर धारा-74(क), दोनों को एक साथ किया गया जो 01 नवंबर, 2024 से लागू किया जायेगा । इसके साथ-साथ धारा-112 में जी0एस0टी0 ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

क्योंकि अभी तक ट्रिब्यूनल कोर्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया गया था और उसमें 3 महीने का समय दिया गया था तो अब हम लोगों ने इसमें सिर्फ चेंजेज किया है कि जिस दिन से वे एप्लीकेशन देंगे तो पहले तो 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था अब उनको मात्र 10 प्रतिशत टैक्स देकर और जिस दिन अपील दायर करेंगे उनको उससे 3 महीने के अंदर सुनवाई करने का अधिकार होगा। इसी तरह धारा-128(क) में जो वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक

(व्यवधान जारी)

जिन लोगों का मामला पेंडिंग है हम लोगों ने एमेनेस्टी लाया है उसके माध्यम से यदि वे हमारा टैक्स 100 प्रतिशत जमा करने में दे देंगे तो वैसी स्थिति में पैनल्टी और इंटरेस्ट हम समाप्त कर देंगे । इसलिए हम आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन से पारित करने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग तो अच्छे लोग हैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं । सभी महान लोग हैं, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं तो यह तो लक्षण नहीं दिख रहा है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने संविधान के बारे में जो विषय कहा उसका कोई असर दिख नहीं रहा है । अपने स्थान पर चले जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-13/मुकुल/26.11.2024

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री: महोदय, बेतिया राज की संपत्तियों को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक, 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्तियों को अब राज्य सरकार में निहित किया जायेगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप पहले विचार का प्रस्ताव पेश तो कीजिए ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को छोड़कर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बहिर्गमन कर गये ।)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूं । खंड-2 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आरक्षण के साथ हूं, यहां पर जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गयी थी वह आरक्षण नौवीं अनुसूची में जाय और फिर से बिहार से पारित हो ।

अध्यक्ष : आप क्या मूव कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि हम पूरे विपक्ष की भावना के साथ हैं लेकिन यह जो बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में निहित करने वाला जो 2024 का कानून है, जो अभी प्रस्तावित है ये एक काला कानून की तरह सामने आया है और इससे 50 हजार से ज्यादा जो वहां के वासिंदें हैं वे वासिंदें इससे बेदखल हो जायेंगे, इस लिहाज से हमने इसमें अपना पक्ष रखने का और इसके लिए हमने यहां पर अपनी उपस्थिति रखी है । महोदय, हम यह कहना चाहेंगे कि वर्ष 1885 के पहले बिहार में जमीन की कोई लिखित कागजात...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले प्रस्ताव तो मूव कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम उसी की पृष्ठभूमि में बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप अपना प्रस्ताव मूव कीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विधेयक पर संपूर्ण रूप से बोले चले जा रहे हैं और संशोधन इन्होंने एक खंड का दिया है, वो भी इन्होंने अपना प्रस्ताव मूव नहीं किया है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी की ही बात कर रहा हूं कि उसका हम तथ्य दे रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा ।

अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप अपना पहले प्रस्ताव मूव कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-5 के उपखंड (8) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह 'किसी भी संपत्ति' के स्थान पर शब्द समूह 'किसी न्यास की कोई संस्था, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष या भवन' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 के उपखंड (8) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह 'किसी भी संपत्ति' के स्थान पर शब्द समूह 'किसी न्यास की कोई संस्था, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष या भवन' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-9 की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह 'ऐसी भूमि' के स्थान पर शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर सभी भूमि' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमको इसकी व्याख्या करने के लिए कब समय मिलेगा ।

अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रस्ताव आयेगा तो बोलियेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-9 की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह 'ऐसी भूमि' के स्थान पर शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर सभी भूमि' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-10 के उपखंड (2) की पहली पंक्ति के शब्द समूह 'समाहर्ता के पास' के स्थान पर शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर समाहर्ता के पास' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-10 के उपखंड (2) की पहली पंक्ति के शब्द समूह 'समाहर्ता के पास' के स्थान पर शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर समाहर्ता के पास' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-11 के मद (xi) की पहली पंक्ति के प्रारंभ में शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-11 के मद (xi) की पहली पंक्ति के प्रारंभ में शब्द समूह 'बसावट वाली भूमि छोड़कर' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/यानपति/26.11.2024

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-13 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-14,15,16,17 एवं 18 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-14,15,16,17 एवं 18 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14,15,16,17 एवं 18 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड-19 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जी, मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-19,20,21 एवं 22 को विलोपित करते हुए बाद के खंडों को पुनर्संख्यांकित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-19,20,21 एवं 22 को विलोपित करते हुए बाद के खंडों को पुर्नसंख्यांकित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-19 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-20 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-20 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-21 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-21 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-22,23,24 एवं 25 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-22,23,24 एवं 25 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-22,23,24 एवं 25 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रस्तावना में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप जायसवाल, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, 1885 के बंगाल-बिहार काश्तकारी अधिनियम के पहले जमीन संबंधी कोई खाता-खतियान का कोई लिखित दस्तावेज उस रूप में मौजूद नहीं था और अप्रैल 1897 से बेतिया राज के क्षेत्र में जो लोग भी बसते थे उनको जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐक्ट के अधीन ला दिया गया और उसी समय 1885 के काश्तकारी अधिनियम के बाद पूरे बिहार में सर्वे का काम चला कि कौन किस जमीन पर बसा हुआ है, कौन किस जमीन पर खेती करता है तो बाकी जगहों पर तो बिहार में यह हुआ उसके आधार पर जो जहां बसे हुए थे उनकी जमीन के कागजात बने, उनके खतियान बने, उनके नक्शे बने लेकिन बेतिया राज की जमीन में जो लोग बसे हुए थे उनके नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं हो सकी कानूनी तौर पर और आपके खंड-4 में जो बात कही गई है कि तमाम तरह के पट्टे जो हैं जो दिए भी गए थे वह रद्द कर दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वाभाविक बसावट होती है जो 1885 के पहले थी कि जो लोग जहां थे बसे हुए थे उस आधार पर लोगों को बिहार काश्तकारी अधिनियम के बाद उनको जमीन का कागज मिला, उनको कानूनी रूप से वैध माना गया लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं माना गया और प्रक्रिया में लोग वहां स्वाभाविक रूप से पचासों हजार की जो आबादी है, आबादी नहीं कहा जाय, परिवार जो बसे हुए हैं बेतिया राज की जमीन में या कहीं खेती करते हैं उनके पास कोई कागज का प्रबंध नहीं हो सका चूंकि वह कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया । तो हम यह कहना चाहेंगे साफ-साफ कि यह एक काला कानून होगा कि जब पूरे बिहार में आपने दिया कि 1885 से पहले जो जहां बसा हुआ है उसको कागज मिलेगा, जोत की जो जमीन होगी उसका भी कागज मिलेगा लेकिन बेतिया राज के लोगों को नहीं मिला और नतीजा के तौर पर चाहे वह मोतिहारी हो, रक्सौल हो, बेतिया हो, नरकटियागंज हो, बगहा हो, चकिया हो तमाम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के शहरों में जो बसावट है उसके पास कोई कागजात नहीं है और जमीन की कोई वैध रजिस्ट्री नहीं होती है । लोग मौखिक तौर पर आपस में रजिस्ट्री करते हैं और ऐसी ही स्थिति में वहां जब शहर का विकास हुआ, लोगों की रोजी-रोटी जहां रहेगी वहां जायेंगे तो इस क्रम में बसते गए तो जमीन की खरीदारी का वैसा कोई प्रावधान भी नहीं रहा तो लोग उसी रूप में बसे हुए हैं तो हम यह चाहेंगे कि यह जो है विधेयक जिसमें बसावट वाली

जमीन को भी अधिगृहीत करके और पूरे तौर पर उससे लोगों को उजाड़ने की शक्ति समाहर्ता में देने की बात कही गई है, विशेष पदाधिकारी में या राजस्व बोर्ड में यह एक तरह से काला कानून है और यह 50 हजार से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने वाला कानून है इस लिहाज से इस कानून का हम विरोध करते हैं और सीधे तौर पर हम यह मांग करते हैं कि जो जहां बसावट है जो बिहार के कार्यकारी अधिनियम के हिसाब से सभी लोगों को मान्यता दी गई तो वहां भी मान्यता मिलनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब 1969 में ही इसको निरस्त किया उसके बाद भी लोग स्वाभाविक रूप से खरीद-बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं थी तो लोग वहां बसते गए, अपने रोजी-रोजगार के लिए गए तो उन तमाम लोगों को भी रहने का अधिकार होना चाहिए । भारत सरकार का भी जो कानून है उस हिसाब से भी 2019,20,21,22 में जो लाया गया है उपखंड में उसमें न्यायालय की महत्ता को भी खत्म कर दिया गया है, पूरी चुनौती दी गई है जबकि भारत सरकार के कानून में भी है कि जब जमीन अधिग्रहण होता है तो जरूर व्यवहार न्यायालय की उसमें महत्ता नहीं रहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है वहां किसी पीड़ित को जाने का अधिकार भी होता है लेकिन यहां इसको भी खत्म कर दिया गया है कि किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं सुना जायेगा तो यह जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से जो न्याय मिलना चाहिए उसके भी खिलाफ है और उसमें जो विशेषाधिकार दिया गया है, सीधे तौर पर वह चाहे डी0एम0 हों, राजस्व पर्षद हो या विशेष पदाधिकारी जो वहां नियुक्ति की बात कही गई है उसको असीमित शक्ति देगा जो पूरी तरह से तानाशाही से लेकर भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण से लेकर वह कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यह पूरे तौर पर काला कानून है और 50 हजार से ज्यादा परिवार इससे उजड़ेंगे तो हम ऐसे काले कानून का सख्त विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस कानून पर विचार करे और जो जहां बसा हुआ है उसको जमीन पर मान्यता दे जो छोटी जोत वाले लोग हैं उनको मान्यता दे हम यह इसके माध्यम से कहना चाहेंगे ।

टर्न-15/अंजली/26.11.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक, 2024 के संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा

कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जायेगा । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया राज की अधिकांश संपत्ति बिहार के दो जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है । इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है । उत्तरप्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है । बेतिया राज की कुल भूमि 15 हजार एकड़ से अधिक है । जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15 हजार 215 एकड़ बिहार में है । उत्तरप्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है । तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुँवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक-1 अप्रैल, 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, ''कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स'' एक्ट, 1879 के अधीन कर लिया गया था । पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था । चूंकि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संपत्ति की देखरेख भलीभाँति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है । अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज के सभी परिसंपत्ति उत्तरप्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाय । ऐसा करने के पश्चात् संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं । जहां तक उत्तरप्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है तो उसके लिए उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी । विधेयक का विधान मंडल से पारित होने के पश्चात् राज्य सरकार बेतिया राज की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा कि कौन-सा खाता-खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है । ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जायेगा । माननीय सदस्य जो शंका जाहिर कर रहे थे तो उसका भी निदान इसमें दिया गया है । बेतिया राज की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान खोल सकती है । इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा । साथ ही, लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी । महोदय, इसलिए इस विधेयक को स्वीकृत किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब क्या है, बैठ जाइए । हो गया । बैठिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-26 नवंबर, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-29 (उनतीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठ जाइय अभी । अभी मैंने कहां खत्म किया है । पूरा तो होने दीजिए ।

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-27 नवंबर, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।